[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the day of 4th September 2013

INCOME-TAX

S.O.________.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 115TA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (15th Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

(a) after rule 12B, the following rule shall be inserted, namely:-

"12BA. Statement under sub-section (3) of section 115TA. – (1) The statement of income distributed by the securitisation trust shall be furnished as provided in sub-rule (2) to -

> (*i*) the Assessing Officer so designated by the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax, within whose area of jurisdiction, the principal office of the securitisation trust is situated;
>
> (*ii*) in any other case, to the Assessing Officer within whose area of jurisdiction, the principal office of the securitisation trust is situated.

(2) The statement of distributed income which is to be furnished under sub-section (3) of section 115TA by the securitisation trust shall be in Form No.63AA, duly verified by an accountant in the manner indicated therein.";

(b) in Appendix-II, after Form No.63A, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 63AA

[*See* sub-rule (2) of rule 12BA]

Statement to be furnished in respect of income distributed by a securitisation trust

1. Name of the securitisation trust

2. Address of the principal place from where the activities of the securitisation trust are being carried out

3. Permanent Account Number

4. Previous year ending

5. Date of setting up of the securitisation trust

6. Objects of the securitisation trust (Enclose a copy of the trust deed)

7. Whether the securitisation trust is regulated by

(i) Securities and Exchange Board of India (Public Offer and listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008

Yes/

No

(ii) Reserve Bank of India guidelines on securitisation of standard assets

Yes/No

8. Whether the trustee(s)/securitisation trust is/are registered with SEBI/RBI

Yes/No

9. Name of Scheme(s)/series under which securitised debt instruments/securities are issued

10. Income of the securitisation trust from the activity of securitisation

Rs........

11. Income distributed by the securitisation trust

Rs........

12. Details of income distributed, tax and interest payable

Income distributed						*Tax payable under section 115TA*	*Interest chargeable under section 115TB, if any*	*Payment towards tax and interest under section 115TB (Attach a copy of challans)*	
Sl. No.	*Date of distribution*	*Amount*						*Date of payment*	*Amount*
		*Exempt investors**	*Individuals/ HUFs***	*Any othe person***	*Total*				

Enclose audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income.

I, ______________________________ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of ______________________________ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as ______________________ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the ____________ day of ____________

……….....
Place

………………………
Signature

Verification

I/We ______________________________ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed to the investors by the ______________________ (name of the securitisation trust) for the previous year ending ______________________.

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place

………………………………………………………
………………………………………………
(Signature with name of the Accountant)

Date ………………….....

Notes :

(1) *Information in respect of investors whose income, irrespective of its nature and source, is exempt under the Act

(2) ** Information in respect of investors whose income is not exempt

(3) "Accountant" means the accountant as defined in the Explanation to sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.".

[Notification No. 68/2013/ F.No.142/18/2013-TPL]

(Amit Katoch)
Under Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended vide number S.O. 2659 (E) dated 02-09-2013.

[भारत के राजपत्र, *असाधारण*, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 4 सितम्बर, 2013

आय-कर

का.आ. (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115नक की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

(15वां संशोधन)

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12ख के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12खक (1) धारा 115 नक की उपधारा (3) के अधीन विवरण.— (1) उपनियम (2) में यथाउपबंधित प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय के विवरण को निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, -

(i) मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रतिभूतिकरण न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

(ii) किसी अन्य मामले में, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रतिभूतिकरण न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

(2) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का विवरण जो धारा 115 तक की उपधारा (3) के अधीन दिया जाना है । विवरण प्ररुप सं0 63कक में उपदर्शित रीति में होगा, जिसको *लेखापाल* द्वारा सम्यक् रुप से सत्यापित किया गया हो ।

(ख) मूल *अधिनियम* के परिशिष्ट-2 में, प्ररुप सं0 63क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 63कक"

[नियम 12खक का उपनियम (2) देखें]

प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय की बाबत दिये जाने वाला विवरण

1.	प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम	
2.	पता और प्रधान स्थान जहां प्रतिभूतिकरण न्यास के क्रिया-कलाप किए जा रहे हैं ।	
3.	स्थायी खाता संख्याक	
4.	..............को समाप्त होने वाला पूर्व वर्ष	
5.	प्रतिभूतिकरण न्यास के गठन की तारीख	
6.	प्रतिभूतिकरण न्यास के उद्देश्य (न्यास विलेख की एक प्रति संलग्न करें)	
7.	क्या प्रतिभूतिकरण न्यास को निम्नलिखित द्वारा विनियमित किया गया है --	
(i)	क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूत ऋण लिखतों का सूचीबद्ध करना) विनियम 2008 द्वारा प्रतिभूतिकरण न्यास विनियमित हैं	हां/नहीं
(ii)	क्या मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिर्जव बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांत लागू हैं	हां/नहीं
8.	क्या न्यास (न्यासों) प्रतिभूतिकरण न्यास को सेबी या आरबीआई में रजिस्ट्रीकृत किया गया है कृपया ब्यौरे दें-	हां/नहीं
9.	स्कीम(स्कीमों) या श्रृंखला का नाम जिसके अधीन प्रतिभूत किए गए ऋण लिखत या प्रतिभूतियों को जारी किया गया है ।	(हां/नहीं)
10.	प्रतिभूतिकरण के क्रिया कलाप से प्रतिभूतिकरण न्यास की आय	.... रु0
11.	प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय	.... रु0

12. वितरित की गई आय, कर या ब्याज का ब्यौरा :-

वितरित आय						धारा 115 नक के अधीन संदेय कर ।	धारा 115 न क के अधीन प्रभार्य ब्याज यदि कोई हो ।	धारा 115नख के अधीन कर और ब्याज के मद्दे संदाय (चालान की एक प्रति सलग्न करें ।	
क्रम सं0	वितरण की तारीख	रकम						भुगतान की तारीख	रकम
		छूट प्राप्त विनिधान कर्ता*	व्यष्टि/हिंदू अविभक्त परिवार**	कोई अन्य व्यक्ति***	कुल				

आय की प्रमाणित प्रतियों के साथ संपरिक्षित लेखाओं जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट भी है, यदि कोई हो, और आय की वितरण के मद्दे विनियोग ।

मैं .... (बड़े अक्षरों में पूर्ण नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधो) में जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, मे कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह विवरण ....की अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं यह विवरण ....(पदनाम) देने तथा उसे सत्यापित करने में सक्षम हूं ।

आज तारीख ....को सत्यापित किया गया ।

....

स्थान

....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने... (प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम) द्वारा...............को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में अर्जित आय और विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शित करने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है ।

2. मैं/ हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

स्थान

तारीख..............................

....

....

(लेखपाल के हस्ताक्षर और नाम)

टिप्पण :

(1) *विनिधानकर्ता जिसकी आय पर स्रोत की प्रकृति पर विचार किए बिना अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है की बाबत सूचना ।

(2) **विनिधानकर्ता जिसकी आय पर छूट प्राप्त नहीं है की बाबत सूचना ।

(3) "लेखपाल" से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है ।"।

[अधिसूचना सं0 ..68...2013/फा.सं. 142/18/2013-टीपीएल]

अमित कटोच

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और का.आ. सं0...2659(अ) तारीख.02.19.1.2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।